



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 फाल्गुन 1942 (श0)
(सं0 पटना 176) पटना, बुधवार 17 मार्च 2021

वाणिज्य-कर विभाग

vf/kl puk

17 मार्च 2021

एस०ओ० 85, दिनांक 17 मार्च 2021—बिहार कराधान विवादों का समाधान (द्वितीय) अध्यादेश, 2020 की धारा-1 की उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल "बिहार कराधान विवादों का समाधान (द्वितीय) अध्यादेश, 2020" के प्रावधानों को 21 मार्च, 2021 से 20 सितम्बर, 2021 तक (छः माह) की अवधि हेतु विस्तारित करते हैं।

2. यह अधिसूचना तुरत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[/4 EI E fc0h&dj@l d kks/ku&06@2020&707/4
fcgkj&jkT; i ky ds vkns k l }
MKNE ifrek]
jkT; &dj vk; 0r&l g&l fpoA

17 मार्च 2021

एस०ओ० 85, दिनांक 17 मार्च 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[/4 EI E fc0h&dj@l d kks/ku&06@2020&707/4
fcgkj&jkT; i ky ds vkns k l }
MKNE ifrek]
jkT; &dj vk; 0r&l g&l fpoA

The 17th March 2021

S.O. 85, dated 17th March 2021—In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (3) of Section 1 of The Bihar Settlement of Taxation Disputes (Second) Ordinance, 2020, the Governor of Bihar is pleased to extend the provisions of "The Bihar Settlement of Taxation Disputes (Second) Ordinance, 2020" for the period (six months) from 21st March, 2021 to 20th September, 2021.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[(File No. Bikri-kar/Sansodhan-06/2020-707)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 176-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>